तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30.08.2019	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री रसैलाराम पुत्र कालूराम की आदेश 1 नियम 10 सीपीसी तथा हस्तगत अपील पर मजीद बहस सुनी गई। पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय इस आदेशिका पर किया जा रहा है। 1. प्रार्थी रसैलाराम पुत्र कालूराम जाति बिश्नोई निवासी गांव बंधाला तहसील नोखा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी के संबंध में कथन किया कि प्रार्थी जिस आदेश के विरूद्ध अपील अदालतवाला के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उससे प्रभावित पक्षकार है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में संयोजित था, क्योंकि जिस आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई है, प्रार्थी उससे प्रभावित व्यक्ति है, उसका उक्त अपील में हित निहित होने के कारण प्रार्थी उक्त अनुवानी अपील में आवश्यक पक्षकार है। अपीलान्ट ने प्रार्थी को जानबूझकर अपील में पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि प्रार्थी उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार है। अतः उक्त अपील में प्रार्थी का अधिकार व हक निहित होने के कारण प्रार्थी को उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित करने का आदेश पारित करें। 2. विद्वान वकील अपीलान्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में उल्लेखित कथनों को दौहराते हुवे कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा अपने आपके जिस आदेश के विरूद्ध अपील अदालतवाला के समक्ष प्रस्तुत की गयी है उससे प्रभावित पक्षकार है, का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में संयोजित था क्योंकि जिस आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गयी है, प्रार्थी उससे प्रभावित व्यक्ति है। उसका उक्त अपील में हित निहित होने के कारण प्रार्थी उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार है जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही उल्लेख नहीं किया है कि वह उक्त अपील में किस प्रकार प्रभावित पक्षकार है तथा किस प्रकार उसका हित अपील में निहित है। प्रार्थी उक्त अपील में पक्षकार के रूप में संयोजित होने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। उक्त अपील तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील नं. सं. 42/2016 पीरबलराम बनाम स्टेट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

नोखा द्वारा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही तथा निर्णय दिनांक 22.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त निर्णय में पक्षकार के रूप में स्टेट जरिये पटवारी हल्का ढींगसरी बनाम अप्रार्थी के रूप में अपीलान्ट पक्षकार थे। उक्त अपील में स्टेट को पक्षकार बनाया गया है, जो सही है। प्रार्थी किसी प्रकार से आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अन्तर्गत पक्षकार के रूप में संयोजित होने का अधिकार नहीं रखता है। प्रार्थी का उक्त अपील में किसी भी प्रकार हित निहित नहीं है। प्रार्थी जानबूझकर उक्त अपील में पेचिदगियां बढाने के लिए पक्षकार के रूप में संयोजित होने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

3. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि विवादित भूमि से उसका क्या संबंध है ना ही प्रकरण में प्रार्थी किसी प्रकार से हितबद्ध पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने गैर मुमकीन रास्ता पर अतिक्रमण के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होकर कार्यवाही की गई है। मुतनाजा भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है और इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही लैण्ड होल्डर के नाते तहसीलदार द्वारा की जानी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

मूल अपील के अनुसार तहसीलदार नोखा द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमण घोषित करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये है। जिसके अनुसार अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकीन भूमि रास्ता पर अतिक्रमण किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.09.2016 में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ लौटाई जावे।

निर्णय + रिकार्ड रिटर्न
1893
9/9/19

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner